छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
—:: मंत्रालय ::—
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

वित्त निर्देश 12/2020

क्रमांक 88 /F-2015-04-02007/ब—4/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27-05-2020

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः— शासकीय व्यय में मितव्ययिता एवं वित्तीय अनुशासन।

——00——

पृष्ठभूमि :—

राज्य शासन द्वारा लोकधन का सदुपयोग सुनिश्चित करने हेतु समय—समय पर वित्तीय अनुशासन एवं व्यय में मितव्ययिता हेतु दिशा—निर्देश जारी किये गये हैं। वर्तमान में COVID-19 के संक्रमण से बचाव हेतु लागू देशव्यापी लॉकडाउन के कारण राज्य के राजस्व प्राप्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। साथ ही, इस महामारी की रोकथाम के लिए अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था भी तत्काल किया जाना है। इसे देखते हुए शासकीय व्यय का युक्तियुक्तकरण तथा उपलब्ध संसाधनों का विकासमूलक कार्यो के लिए अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

2— उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा मितव्ययिता एवं वित्तीय अनुशासन की दृष्टि से निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :—

2.1 रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में —

लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों एवं अनुकम्पा नियुक्ति के पदों को छोड़कर शेष सभी सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त की जाए।

जिन पदों के लिए वित्त विभाग से भर्ती की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, किन्तु नियुक्ति शेष है उनके लिए भी वित्त विभाग की अनुमति पुनः प्राप्त की जाये। ऐसे प्रस्तावों को वित्त विभाग में भेजते समय इन पदों की पूर्ति पर आने वाले वार्षिक वित्तीय भार तथा पदों की पूर्ति की आवश्यकता का औचित्य दर्शाया जाए।

27/5

2.2 पदोन्नति –

विभाग द्वारा नियमित पदोन्नति में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाए। किन्तु पदोन्नति के परिणाम स्वरूप होने वाले स्थानांतरण को रोकने हेतु यथा संभव उस पद को उसी स्थान पर आगामी आदेश तक अस्थायी तौर पर उन्नयन (UPGRADE) कर दिया जाए।

पदोन्नति/क्रमोन्नति के फलस्वरूप देय एरियर्स राशि के भुगतान को वित्त विभाग के आगामी आदेश तक विलंबित रखा जाए।

2.3 नवीन पदों का निर्माण –

विभागों के स्थापना व्यय में वृद्धि को नियंत्रित रखने की दृष्टि से सभी शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/निकायों में नवीन पद सृजन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। विशेष परिस्थितियों में वित्त विभाग की सहमति से ही नवीन पद सृजित किये जायेंगे।

2.4 स्थानांतरण –

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के अनुसार स्थानांतरण पर प्रतिबंध है। स्थानांतरण केवल समन्वय में अनुमोदन उपरांत किया जाएगा। स्थानांतरण पर अतिरिक्त व्यय भार के दृष्टिगत विभागों से अपेक्षा की जाती है कि समन्वय में भी न्यूनतम स्थानांतरण किया जाए एवं अति आवश्यक होने पर स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण को प्राथमिकता दिया जाए।

2.5 शासकीय यात्रा –

लोकहित में वांछित अपवाद को छोड़कर राज्य शासन के व्यय पर विदेश यात्राओं पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। शासकीय अधिकारियों के बिजनेस क्लास से हवाई यात्रा/प्रथम श्रेणी में रेल यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। अनावश्यक एवं बिना सक्षम स्वीकृति के शासकीय भ्रमण पर प्रतिबंध रहेगा।

2.6 बैठक, कान्फ्रेंस एवं सेमीनार –

विभागों द्वारा बैठकों का आयोजन न्यूनतम किया जाए। कान्फ्रेंस, सेमीनार तथा शासकीय समारोह के आयोजन में मितव्ययिता बरती जाए। अति आवश्यक बैठक/कार्यक्रम का आयोजन महंगे होटलों के स्थान पर शासकीय भवनों में किया जाये। यथा संभव बैठकें वीडियो कान्फ्रेंस एवं वेबीनार के माध्यम से आयोजित की जाए।

विदेश में आयोजित प्रशिक्षण, वर्कशॉप एवं सेमीनार, जिसमें व्ययभार शासन का निहित हो, में भाग लेना प्रतिबंधित होगा।

2.7 नई योजनाएं

विभाग द्वारा अति आवश्यक नवीन योजनाओं को ही चालू वर्ष में प्रारंभ करने की कार्यवाही/प्रस्ताव प्रेषित किया जाए तथा पूर्व से संचालित योजनाओं की अलग से समीक्षा की जाए। जो योजनाएं जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अनुपयोगी है उनको समाप्त करने की कार्यवाही की जाए।

27/5

2.8 वाहनों का क्रय –

वित्तीय वर्ष 2020–21 दौरान नवीन वाहन का क्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। केवल अत्यावश्यक सेवाओं हेतु आवश्यक वाहनों का क्रय वित्त विभाग की पूर्व अनुमति से किया जा सकेगा।

2.9 वार्षिक वेतन वृद्धि –

राज्य के शासकीय सेवकों को 1 जुलाई 2020 एवं 1 जनवरी 2021 में देय वार्षिक वेतन वृद्धि को आगामी आदेश तक विलंबित रखा जाए। किन्तु 1 जनवरी 2021 एवं 1 जुलाई 2021 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के मामले में यह लागू नहीं होगा।

2.10 व्यक्तिगत जमा खाता –

विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित व्यक्तिगत जमा खाता (PD Account) जो एक वर्ष की अवधि से प्रचलन में नहीं है, तत्काल बंद किए जाएं तथा खाते में जमा राशि चालान के माध्यम से शासकीय कोष में जमा की जाए।

2.11 संचित निधि से अग्रिम आहरण –

राज्य पोषित योजनांतर्गत प्रावधानित राशि जो कि संचित निधि से दिनांक 31/03/2020 तक अग्रिम आहरित की जाकर बैंक खातों में रखी गई है, अर्जित ब्याज सहित दिनांक 15/06/2020 तक राज्य शासन के खाते में वापिस जमा की जाए।

कतिपय केन्द्रीय योजनाओं में राशि बजट के माध्यम से प्राप्त होती है। ऐसी योजनाओं में बजट में प्रावधानित राशि के विरूद्ध दिनांक 31/03/2020 तक अग्रिम आहरित कर बैंक खाते में जमा राशि में से, Committed Expenditure, जो तत्काल किया जाना संभावित हो, का भुगतान किया जाकर शेष समस्त राशि अर्जित ब्याज सहित मुख्य शीर्ष '8443–के–डिपाजिट' में दिनांक 15/06/2020 तक अनिवार्यतः जमा की जाए। विभागों द्वारा भविष्य में आवश्यकतानानुसार वित्त विभाग की अनुमति से 'के–डिपाजिट' में जमा राशि विमुक्त करायी जा सकती है।

उपरोक्तानुसार बिन्दुओं पर विभागवार की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन वित्त विभाग द्वारा आयोजित मितव्ययिता समीक्षा बैठक में प्रस्तुत किया जाये। यह निर्देश राज्य के शासकीय विभागों/कार्यालयों के साथ–साथ सभी निगम / मण्डल / आयोग / प्राधिकरण / विश्वविद्यालय / अनुदान प्राप्त–स्वशासी संस्थाओं आदि में भी समान रूप से लागू होंगे।

3– यह निर्देश दिनांक 31/03/2021 तक लागू रहेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

27/5

(सतीश पाण्डेय)
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र. 89 / F-2015-04-02007 / ब–4 / चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27-05-2020

प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर।
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर।
4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर।
6. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री / राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़।
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय।
9. अपर मुख्य सचिव / सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय।
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर।
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर –19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर।
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर।
14. समस्त अपर सचिव / संचालक, बजट / संयुक्त सचिव / उप सचिव / अवर सचिव शोध अधिकारी / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय।
15. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर।
16. मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय।
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़।
18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला / इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़।
19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर / बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर।
21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़।
22. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ मंत्रालय।

– को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु।

23. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु।

27.05.20

(राघवेन्द्र कुमार)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग